

सं. 11/9/2011-एफटी(एमएंडओ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
10 अप्रैल, 2013

### **आदेश**

एमएमटीसी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशक के रूप में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया है :-

- i. डा. सुभाष पाणि, भारत सरकार के पूर्व सचिव तथा पूर्व सीएमडी, आईटीपीओ
- ii. श्री स्कंद रंजन तायल, पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी
- iii. श्री एन. बाला भास्कर, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
- iv. श्री राणा सोम, पूर्व सीएमडी, एनएमडीसी

2. उपरोक्त अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय की कृपा पर तथा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहेगी जैसाकि राष्ट्रपति उचित समझे।

3. इन निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए टीए/डीए तथा सीटिंग फीस का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(अदिति दास राउत)  
निदेशक  
टेलीफोन: 23063434

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एमएमटीसी, नई दिल्ली- 110 001

प्रति:-

1. डा. सुभाष पाणि, बी-84, दूसरी मंजिल, सर्वोदया एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017
2. श्री स्कंद रंजन तायल, सी-25, आईएफएस अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091
3. श्री एन बाला भास्कर, 19, पी.एस. सिवसामी सलाय, मायलापोर, चेन्नै-600094
4. श्री राणा सोम, ई-931, सीआर पार्क, नई दिल्ली-110019
5. कंपनी रजिस्ट्रार, लोदी रोड, नई दिल्ली
6. स्थापना अधिकारी का कार्यालय, (ध्यानाकर्षण : श्री दीपक इसरानी, अवर सचिव), कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली उनके का.जा. संख्या:10(3)-ईओ/2013(एसीसी) दिनांक 14.03.2013 के संदर्भ में।
7. लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम भवन, ब्लॉक संख्या:14, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 उनके का.जा. संख्या: 9)25/2006-जीएम दिनांक 20 सितंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में।
8. कंपनी सचिव, एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली
9. सीआईटीएम/एमओएस/सीएस के पीएस/सतर्कता अनुभाग
10. गार्ड फाइल

सं. 14/13/97-एफटी(एसटी)  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
15 जून, 2016

**आदेश**

एमएमटीसी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशक के रूप में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया है :-

1. श्री आर. आनंद, टैक्स एंड मार्केट कंसल्टेंट तथा
  2. श्री बालाकृष्ण खांडेराव शुक्ला, प्रशासनिक परामर्शदाता
2. उपरोक्त अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय की कृपा पर तथा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहेगी जैसाकि राष्ट्रपति उचित समझे।
3. इन निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए टीए/डीए तथा सीटिंग फीस का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(संजीव थपियाल)  
अवर सचिव भारत सरकार  
टेली. नं.23062261-489(एक्स.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
एमएमटीसी, नई दिल्ली- 110 001

प्रति:-

1. श्री आर आनंद, निवासी : 22/1 वारेन रोड, मायलापोर, चेन्नै-600 004
2. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, निवासी: ए-501, राधे रेजिडेंसी, स्टेला मैरी स्कूल के सामने, वृजधाम गार्डन, मंजलपुर, वडोदरा-390 011
3. कंपनी रजिस्ट्रार, लोदी रोड, नई दिल्ली
4. स्थापना अधिकारी का कार्यालय, (श्री अमित श्रीवास्तव, अवर सचिव), कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली उनके का.जा. संख्या:10(16)/2016-ईओ(एसीसी) दिनांक 06.06.2016 के संदर्भ में।
5. लोक उद्यम विभाग, (श्री कैलाश भंडारी, उप निदेशक), लोक उद्यम भवन, ब्लॉक संख्या:14, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 उनके दिनांक 31.3.2016 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में।
6. कंपनी सचिव, एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली
7. वाणिज्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,/सीएस के पीएस/सतर्कता अनुभाग

सं. 14/13/97-एफटी(एसटी)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
27 जनवरी, 2017

**आदेश**

एमएमटीसी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशक के रूप में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया है :-

3. श्री जयंत दासगुप्ता
  4. श्री रजनीश गोयंका
  5. श्री राजेन्द्रसिंह रतनसिंह जडेजा
2. उपरोक्त अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय की कृपा पर तथा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहेगी जैसाकि राष्ट्रपति उचित समझे।
3. इन निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए टीए/डीए तथा सीटिंग फीस का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(संजीव थपियाल)  
अवर सचिव भारत सरकार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
एमएमटीसी, नई दिल्ली- 110 001

प्रति:-

1. श्री जयंत दासगुप्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी, निवासी : फ्लैट एल 52, निवेदिता कुंज, नई दिल्ली - 110 022
2. श्री रजनीश गोयंका, निवासी : ई-14, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली
1. श्री राजेन्द्रसिंह रतनसिंह जडेजा, निवासी: दरबारगढ़, कलवाड(शीतला), जिला- जामनगर, (गुजरात) - 361160
2. कंपनी रजिस्ट्रार, लोदी रोड, नई दिल्ली
3. स्थापना अधिकारी का कार्यालय, (श्री अमित श्रीवास्तव, अवर सचिव), कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली उनके का.जा. संख्या:17/21/2016-ईओ(एसीसी) दिनांक 21.01.2017 के संदर्भ में।
4. लोक उद्यम विभाग, (श्री कैलाश भंडारी, उप निदेशक), लोक उद्यम भवन, ब्लॉक संख्या:14, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 उनके दिनांक 9.12.2016 के कार्यालय जापन के संदर्भ में।
5. कंपनी सचिव, एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली
6. वाणिज्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,सीएस के पीएस/सतर्कता अनुभाग